



भारत के समुद्री विकास का हिस्सा बनने के लिए परामर्शदाता के रूप में अवसर

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के तहत कार्यरत एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी है, जो भारत में सबसे बड़ा पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधा है। सीएसएल का मुख्यालय कोच्ची में है और इसके पास पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में दो सहायक शिपयार्ड के अलावा मुंबई, कोलकाता और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोत मरम्मत इकाइयाँ हैं।

एमओपीएसडब्ल्यू को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्गों से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों के निर्माण और प्रशासन के लिए सशक्त बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा समुद्री भारत विज़न (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 में हमारे देश को समुद्री क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में शामिल करने की परिकल्पना की गई है। एमओपीएसडब्ल्यू अब नीति और विनियामक सुधारों की एक श्रृंखला के साथ भारत के पोत परिवहन, पोत निर्माण और पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को आगे बढ़ा रहा है। इनमें संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2.0, समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), क्षमता और योग्यता निर्माण योजना (पोत मरम्मत क्लस्टर्स के विकास सहित), कराधान और ईओडीबी सुधार, विकसित भारत और नील अर्थ विजन कार्यान्वयन सेल (एनएवीआईसी) आदि शामिल हैं।

सीएसएल इन सभी प्रयासों में सबसे आगे है और इसने एमआईवी. 2030 और एमएकेवी 2047 के साथ तालमेल बिठाते हुए देश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत में वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से एमओपीएसडब्ल्यू के साथ मिलकर काम करने के लिए नई दिल्ली में एक समर्पित टीम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से, सीएसएल, एमओपीएसडब्ल्यू कार्यालय में सीएसएल टीम बनाने के लिए परामर्शदाता के पद के लिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं को भारत सरकार के अधिकारियों, सीएसएल के वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर बातचीत का अवसर मिलेगा, जिससे वे देश में समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।



क. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कार्य अपेक्षाएं:

पद का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
परामर्शदाता (पोत परिवहन और पोत निर्माण)	भारत या विदेश में प्रमुख संस्थान से प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री* या भारत या विदेश में प्रमुख संस्थानों से स्नातकोत्तर/मास्टर डिग्री*	किसी कॉर्पोरेट/परामर्शदाता फर्म या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में 4 से 6 वर्ष का कार्य अनुभव। उम्मीदवार को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अनुभव/ज्ञान होना चाहिए - अधिमानतः पोत परिवहन और पोत निर्माण में। सड़क, रेलवे और विमानन जैसे परिवहन क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा।

* भारत में प्रमुख संस्थान – हाल ही के एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार सर्वोच्च 25 संस्थान।

* विदेश में प्रमुख संस्थान – हाल ही के क्यूएस रैंकिंग के अनुसार।

कार्य अपेक्षाएं:

उम्मीदवार **अनुलग्नक- I** में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर पहलों के कार्यान्वयन पर एमओपीएसडब्लू अधिकारियों की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होगा, पोत परिवहन क्षेत्र के लिए अपनी पोत परिवहन और पोत निर्माण कार्यनीति तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने में मंत्रालय का समर्थन करेगा। इन सहायक गतिविधियों को एमओपीएसडब्लू की आवश्यकता और प्रतिक्रिया के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और इसमें शामिल होंगे: भारतीय टन भार को बढ़ाने देने की दिशा में विभिन्न परियोजनाओं और पहलों/सुधारों की निगरानी और प्रबंधन: भारतीय स्वामित्व वाले, पंजीकृत और ध्वजांकित पोतों की वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाना, भारत को पोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित करना, समुद्री क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन: सुरक्षित, टिकाऊ और हरित समुद्री क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करना, निवेश प्रोत्साहन, आदि। कार्य का व्यापक दायरा **अनुलग्नक- II** में विस्तृत है।

ख. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत : 04 जुलाई 2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 18 जुलाई 2025

ग. रिक्तियों की संख्या और पारिश्रमिक :

पद	रिक्तियों की संख्या	पारिश्रमिक
परामर्शदाता (पोत परिवहन और पोत निर्माण)	3	रु. 20-25 लाख प्रति वर्ष



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्ट्रल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

घ. तैनाती का स्थान: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली। इस पद के लिए सीएसएल, कोच्ची या कार्य की आवश्यकता के आधार पर किसी अन्य स्थान पर यात्रा और अल्पकालिक कार्य की आवश्यकता होती है।

ङ नियुक्ति की अवधि: नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

च. आवेदन शुल्क:

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 04 जुलाई 2025 से 18 जुलाई 2025 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगों को छोड़कर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

छ. आयु:

क) पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 18 जुलाई 2025 तक 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज. चयन की रीति:

- क) चयन की रीति में पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण और वैयक्तिक साक्षात्कार शामिल होंगे।
- ख) चयन प्रक्रिया सीएसएल, कोच्ची या एमओपीएसडब्ल्यू, नई दिल्ली या सीएसएल द्वारा तय किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी।



झ. अनुभव:

- (i) उपरोक्त मद क के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 18 जुलाई 2025 से की जाएगी।
- (ii) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों पर ही चयन हेतु विचार किया जाएगा।
- (iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोजगार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) नियमित सरकारी सेवा में कार्यरत या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में कार्यरत आवेदक सीधे सीएसएल को अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे आवेदकों को एक घोषणापत्र (अनुलग्नक- III के अनुसार) अपलोड करना आवश्यक है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पद के लिए आवेदन किया है। यदि नियोक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ञ. आवेदन कैसे करें

- i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन के दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की सुविधा हमारी



वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से दिनांक 04 जुलाई 2025 से 18 जुलाई 2025 तक प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाण पत्र तथा नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति " प्रगति में " के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति " प्रगति में " है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को अपने संदर्भ के लिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार के लिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- vii) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/ आवेदन शुल्क डीडी/चालान/चेक के रूप में डाक द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भेजने की आवश्यकता नहीं है।



- viii) वेबसाइट दिनांक **04 जुलाई 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **18 जुलाई 2025** है। अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**

ट. सामान्य

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- ii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल द्वारा किसी अन्य चरण में सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों के सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- iv) चयन के लिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।



कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम
एक मिनिस्टरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- v) अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vi) पद के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल,कोच्ची) को बार- बार देखें।
- vii) केवल ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोजगार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- viii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी।
- ix) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।
- x) चयनित उम्मीदवार को सीएसएल नीति का अनुपालन करने तथा कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन का उपयोग न करने का वचन देना होगा।
- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि के लिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और काम की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xiii) परामर्शदाता देश के गोपनीयता कानून के अधीन रहना होगा तथा रिपोर्ट देने से पहले गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।



- xiv) यह नियुक्ति सीएसएल या एमओपीएसडब्ल्यू के कार्यालय में किसी भी प्रकार की नियमित नौकरी या नियुक्ति नहीं होगी, न ही यह सीएसएल/एमओपीएसडब्ल्यू और परामर्शदाता के बीच नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध की प्रकृति की होगी।
- xv) परामर्शदाता को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन से संबंधित सभी कानूनों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान, परामर्शदाता को आचरण के मानकों का पालन करना होगा। इसका पालन न करने पर परामर्शदाता को बिना किसी नोटिस के सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।
- xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉर्म में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।
- xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया career@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)